न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण कमांक रिव्यु -दो/2014 रिव्यू 49-I-15

1– कृष्ण विहारी तनय जयराम यादव

2– शीतल प्रसाद तनय जयराम यादव

3– विनोद तनय रामेश्वर यादव

4– देवेन्द्र सिंह तनय रणविजय सिंह

5– महेन्द्र सिंह तनय रणविजय सिंह

6– सुरेन्द्र सिंह तनय रणविजय सिंह

समस्त निवासीगण नरसिंहगण पुरवा

तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

———आवेदकगण

श्री सुरेन्द्र सिंह यादव आवेदक क्र. 6 द्वारा आज दि. 8-1-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1–राजू अहिरवार तनय बुदिया अहिरवार निवासी ग्राम कदारी तहसील व जिला छतरपुर म0प्र0

2– म0 प्र0 शासन —— अनावेदकगण

<u>पुर्नविलोकन हेतु आवेदन पत्र म0प्र0 भू–राजस्व संहिता –1959 की धारा 51 के अंतर्गत विरूद्ध आदेश दिनांक 3–12–14 पारित द्वारा माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्र0क0 निगरानी 1176–तीन/14 से परिवेदित होकर प्रस्तुत ।</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु. 49–एक/2015 **जिला छतरपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–04–2016	आवेदक अधिवक्ता को रिव्यु प्रकरण की ग्राहयता पर सुना गया । अनावेदक शासन की ओर से श्री बी0एन0त्यागी शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1176–तीन/14 में पारित आदेश दिनांक 03–12–2014 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	